

कम संख्या— 147

पंजीकृत संख्या—डी0एन0 / 30—2009—2011
पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

(लाइसेन्स टू

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड

सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार 4 अक्टूबर, 2011 ई0 आश्विन 12,

1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 307 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2011 देहरादून, 04

अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 को दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2011 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

- 1 -

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2011}

उत्तराखण्ड राज्य की जनता को समयबद्ध रीति से सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक मामलों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम और
अधिनियम,

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार
प्रारम्भ 2011 है।

होगा।

परिभाषाएं
अधिनियम

2. जब तक कि प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस
में:—

अभिप्रेत

(क) “आयोग” से अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित आयोग
है;

अधिसूचित

(ख) “पदाभिहित अधिकारी” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन
कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

को	(ग) "पात्र व्यक्ति" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
	(घ) "प्रथम अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
अधिसूचित गया	(ङ) "उपलब्ध समय सीमा" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा को उपलब्ध कराने के लिए दिया अधिकतम समय अभिप्रेत है;
	(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
	(छ) "सेवा का अधिकार" से उपलब्ध समय सीमा के भीतर सेवा को प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;
है;	(ज) "सेवा" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा अभिप्रेत है;

- 2 -

	(झ) "द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;
	(ञ) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और
	(ट) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
पदाभिहित अधिकारी, 3. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय प्राधिकारी	(1) राज्य सरकार, जिस पर यह अधिनियम लागू होगा, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी।
लिए	(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा अपीलीय पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय और उपलब्ध समय प्राधिकारी तथा उपलब्ध कराई गई समय सीमा विहित कर सकेगी। सीमा के लिए
अधिसूचना	
सेवाओं का उपलब्ध व्यक्ति कराया जाना	4. पदाभिहित अधिकारी उपलब्ध कराई गई समय-सीमा के भीतर पात्र को सेवा उपलब्ध करायेगा।
सेवा को प्राप्त करने लिए के लिए प्रक्रिया	5. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी सेवा को प्राप्त करने के कोई पात्र व्यक्ति पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करेगा। (2) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने दिए गए समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन को खारिज करेगा तथा आवेदन पत्र को खारिज करने की दशा में कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और उससे आवेदक को सूचित करेगा।
पर पत्र	(3) प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी आवेदित सेवा के अभिलेख का विस्तृत ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाय, अनुरक्षित करेगा।
विवरण	
प्रथम अपील सेवा	6. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन को प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गई हो या जो दिए गए समयावधि के भीतर सेवा को उपलब्ध नहीं कराता है, के लिए ऐसे खारिज करने की तारीख के तीस दिन के भीतर अथवा उपलब्ध कराई

- 3 -

गई समय-सीमा की समाप्ति पर, जैसी स्थिति हो, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित कर सकेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय में पात्र व्यक्ति

के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दे सकेगा।

(3) पात्र व्यक्ति और पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराए जाने के पश्चात्, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या तो अपील को स्वीकार करने के लिए कोई आदेश पारित करेगा या लिखित रूप में उसके खारिज करने के आदेश पारित करेगा तथा खारिज करने की दशा में खारिज करने के कारणों को ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करेगा एवं पात्र व्यक्ति को उसे संसूचित करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उसकी प्राप्ति के तीस दिन के अवधि के भीतर यथासम्भव प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित की जायेगी।

द्वितीय अपील
कर
विहित

7. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसकी अपील सेवा प्राप्त करने के लिए खारिज दी गई हो या धारा 6 के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराने की दशा में ऐसे आदेश के खारिज होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय की समाप्ति पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित की जा सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय में पात्र व्यक्ति के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दे

दे

सकेगा:

- 4 -

परन्तु यह कि अपील को खारिज करने से पूर्व पात्र व्यक्ति को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा: परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश को पात्र व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि उपधारा (1) के अधीन की गई अपील द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर यथाशीघ्र निर्णित की जायेगी।

समन और निरीक्षण
करने की शक्ति
समय
(1908
निहित

8. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी में इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी अपील को निर्णित करते निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का संख्यांक 5) के अधीन सिविल न्यायालयों के समरूप शक्तियाँ होंगी; अर्थात् :-

- (क) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण और उनके निरीक्षण की अपेक्षा;
(ख) पदाभिहित अधिकारी और आवेदक को सुनवाई के लिए समन जारी करने; और
(ग) अन्य कोई मामले, जैसे विहित किए जायें।

शास्तियां

9. (1) (क) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की राय में पर्याप्त और समुचित कारणों के बिना उपलब्ध कराए जाने वाली सेवा के असफल होने

पर
शास्ति,
ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया से सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी पर वह एकमुश्त जो कि ` 500.00 से कम तथा ` 5000.00 से अधिक नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगा।

कारणों
सेवा
द्वारा
तो
वह
(ख) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की राय में पर्याप्त और समुचित के बिना उपलब्ध कराए जाने वाली सेवा के असफल होने पर ऐसी को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया से सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी सेवा को उपलब्ध कराए जाने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है ऐसे पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी पर

- 5 -

किए
नहीं
एकमुश्त शास्ति ` 250.00 प्रतिदिन की दर से ऐसे विलम्ब के लिए गए दिनों हेतु अधिरोपित कर सकेगा, जो कि ` 5000.00 से अधिक होगी:

में
परन्तु यह कि ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी उपखण्ड (क) और (ख) के अधीन उसे/उन्हें अधिरोपित किसी दण्ड के लिए दण्ड देने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर देगा।

अधिरोपित
धनराशि
किया
धनराशि से
(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी आदेश द्वारा उपधारा (1) के अधीन शास्ति की धनराशि में से आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी को दिए जाने का आदेश दे सकेगा, जैसा कि उसके द्वारा विहित जाय, जो कि इस प्रकार अधिरोपित की गई शास्ति की कुल अधिक नहीं होगी।

अधीन
निर्वहन
शास्ति
उसके
पुनरीक्षण
व्यथित
(3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया में सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी इस अधिनियम के बिना पर्याप्त और समुचित कारणों के उन्हें सौंपे गए कृत्यों का करने में असफल हो गया है तो उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित के अतिरिक्त उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन त्रुटि के लिए विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए संस्तुत कर सकेगा।

10. [कोई व्यक्ति, जो कि द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से हो तो वह ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर आयोग को उक्त आदेश का पुनरीक्षण करने के लिए आवेदन दे सकता है, जिसे विहित रीति से निस्तारित किया जायेगा:

सकेगा;
तो
पत्र
परन्तु यह कि आयोग पुनरीक्षण हेतु स्वतः भी संज्ञान ले परन्तु यह और कि आयोग यदि समुचित कारणों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन न कर सकने के लिए यदि वह सन्तुष्ट हो वह उक्त साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को स्वीकार कर सकता है।¹

1.उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01 वर्ष 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

- 6 -

सेवाओं को दर्शाया 11. जनता की सूचना के लिए सम्बन्धित विभाग के सचिव द्वारा स्थानीय और जाना और दिए गए वेबसाइट पर सेवाओं और दिए गए समय की अवधि को दर्शाया जाएगा। समय की अवधि

आयोग का गठन 12. (1) यदि राज्य सरकार की राय में, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन हो तो वह अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक

आयोग का नाम	गठन कर सकेगी, जिसे उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग ज्ञात से जाना जायेगा :
	{***} ₁
जायेगा प्राविधानों अपेक्षा सामान्य	(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसे उपर्युक्त नाम से जाना और जिसे शारस्वत् अधिकार प्राप्त होंगे तथा इस अधिनियम के के अध्यक्षीन स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्तियों तथा संविदा करने, करने, धारण करने और निस्तारित करने की शक्ति सहित एक मुद्रा होगी और उसके नाम से वाद लाया जा सकेगा तथा वाद ला सकेगा।
जैसा	(3) आयोग का प्रधान कार्यालय देहरादून अथवा ऐसे स्थान पर होगा, कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।
आयोग की संरचना	13. (1) आयोग मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों से संरचित होगा और उनकी नियुक्तियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
के अधिकारी	(2) मुख्य आयुक्त उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार सचिव स्तर के किसी अधिकारी की श्रेणी का कोई सेवानिवृत्त होगा।
	1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01 वर्ष 2014 की धारा 4 द्वारा निरसित।
	- 7 -
	(3) आयुक्त उत्तराखण्ड राज्य के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी, जो कि सचिव के स्तर और श्रेणी तथा इसके समकक्ष श्रेणी और स्तर में राज्य की किसी सेवा में उत्तराखण्ड राज्य संवर्ग से अखिल भारतीय सेवाओं और/अथवा लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ, जिसके पास लोक प्रशासन में दर्शन शास्त्र में शोध कार्य करने और किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन कार्य करने का अनुभव अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी अन्य मामले में प्रतिष्ठित हो, से नियुक्त किया जा सकेगा।
मुख्य आयुक्त की और शक्तियाँ के कृत्यों अध्यक्षता	14. (1) मुख्य आयुक्त को आयोग के कार्यों के व्यवहरण में सामान्य पर्यवेक्षण निर्देशन की शक्तियाँ होंगी। मुख्य आयुक्त धारा 17 की उपधारा (4) अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसरण में उसमें निहित आयोग के का निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के साथ-साथ बैठक की करेगा।
दशा	(2) मुख्य आयुक्त की अनुपस्थिति में अथवा मुख्य आयुक्त की रिक्ति की में राज्य सरकार किसी एक आयुक्त को रिक्ति की अवधि में अथवा उसकी अनुपस्थिति में मुख्य आयुक्त में निहित शक्तियों का प्रयोग कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नामित कर सकेगी।
और	(3) नामित आयुक्त उपधारा (2) के अधीन मुख्य आयुक्त के कृत्यों का और शक्तियों का प्रयोग करने पर आयुक्त के रूप में मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, भत्ते अथवा अतिरिक्त सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
निर्वहन	
मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की सेवा वर्ष की कार्यावधि और सेवा-शर्तें	15. (1) मुख्य आयुक्त और आयुक्त का कार्यकाल सम्बन्धित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 आयु तक, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बने रहेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
	(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसके मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त के रूप में

नियुक्त
उसे
करने

किया जाय, पूर्व से ही किसी अन्य पद पर कार्य कर रहा हो तो
उस पद से त्याग-पत्र देना होगा अथवा आयोग में कार्यभार ग्रहण

- 8 -

से पूर्व उस पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त करनी होगी।

(3) मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी होगी।

(4) मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त किसी भी समय लिखित रूप में हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से राज्यपाल को सम्बोधित कर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेंगे। वह धारा 16 के अधीन उपबन्धित रीति में पद से हटाए जाने के लिए दायी भी होगा।

(5) मुख्य आयुक्त और आयुक्त की सेवा की शर्तें और निबन्धन तथा संदेय वेतन और भत्ते कमशः राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा (5) में अधिकथित व्यवस्था के समरूप होगी। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त और आयुक्तों पर उपर्युक्त उपधारा के सभी उपबन्ध यथावत् लागू होंगे।

(6) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन आयोग की उपयुक्त दक्षता के लिए, जैसा आवश्यक हो, ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें, ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायं।

मुख्य आयुक्त या 16. (1) राज्य सरकार, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात् मुख्य आयुक्त को कतिपय आयुक्त अथवा आयुक्त को हटा सकेगी, जो उसकी राय में – परिस्थितियों में (एक) वह दिवालिया घोषित हो गया हो; अथवा उनके पदों से (दो) किसी अपराध में अभियुक्त हो, जो कि राज्य सरकार की राय में निलम्बित किया नैतिक अपराध से सम्बन्धित हो; अथवा जाना और हटाया (तीन) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अयोग्य हो गया हो; अथवा जाना (चार) ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित की अपेक्षा करता हो, जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त किसी हैसियत में उसके कृत्य को सद्भावपूर्वक सम्पादित करने में कठिनाई हो; अथवा (पाँच) सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करता है, जिसके कारण उसका पद पर बना रहना, लोकहित में हानिकारक है।

- 9 -

(2) उपधारा (1) में किसी अन्य बात के होते हुए भी मुख्य आयुक्त अथवा कोई आयुक्त तब तक उसके पद से नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि – (एक) राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जाँच हेतु मुख्य आयुक्त और आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने के लिए ऐसे प्रस्ताव के साथ आवश्यक पत्रजात, जो कि उसके हटाए जाने के आधार हों, सहित कोई सन्दर्भ नहीं किया जाता है;

(दो) ऐसे सन्दर्भ पर उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त कोई कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता

में गठित जाँच समिति द्वारा सम्यक रूप से जाँच नहीं कर ली जाती है;

(तीन) जाँच समिति यह संस्तुत न कर दे कि मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को ऐसे आधार अथवा आधारों पर उसके पद से हटाया जाय।

(3) राज्य सरकार, सम्बन्धित मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्तों को उपधारा (2) के अधीन मुख्य न्यायाधीश को किए गए सन्दर्भ के पश्चात् निलम्बित कर सकेगी।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की देना, शक्तियाँ और कृत्य

सकेगी;
असफल
प्राधिकारी
ऐसे

सौंपे
उनके

17. (1) इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन तथा सेवा को और अधिक उपयुक्त रूप से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव आयोग का दायित्व होगा। इस प्रयोजन के लिए आयोग :-

(क) धारा 10 के अधीन पुनरीक्षण को दाखिल और निस्तारित कर (ख) इस अधिनियम के अनुसरण में सेवा को उपलब्ध कराने में होने पर स्वतः संज्ञान ले सकेगी तथा प्रथम अपीलीय अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसा समुचित समझा जाय, मामलों को निस्तारण के लिए सन्दर्भित कर सकेगा;

(ग) सेवाओं को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यालयों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी और कर्मचारी को गए कृत्यों के निर्वहन में असफल होने पर राज्य सरकार को विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए संस्तुत कर सकेगा;

- 10 -

(ङ) सेवाओं की उपलब्धता के लिए प्रक्रियाओं में संशोधन के लिए, जिससे सेवाओं की उपलब्धता को अधिक पारदर्शी और सरल किया जा सके, की संस्तुति कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी संस्तुति करने से पूर्व आयोग विभाग के प्रशासनिक प्रभारी सचिव से परामर्श करेगा, जो सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दायी है;

(च) धारा 3 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाली अतिरिक्त अधिसूचनाओं की संस्तुति तथा इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं में उपान्तरण के लिए सुझाव दे सकेगा।

(2) जहाँ आयोग का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के मामलों में जाँच करने के समुचित आधार उपलब्ध हैं, वहाँ वह उस सम्बन्ध में कोई जाँच स्वतः प्रारम्भ कर सकेगा।

(3) आयोग, जब इस धारा के अधीन किसी मामले की जाँच कर रहा हो तो उसे निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के परीक्षण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होंगी :-

(क) व्यक्तियों को समन और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, शपथ-पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने तथा अभिलेखों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने की शक्ति;

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण और खोज की अपेक्षा करने की शक्ति; (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति;

- (घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से, उससे सम्बन्धित कोई लोक अभिलेख या प्रतियों की माँग करने की शक्ति;
 - (ङ) गवाहों अथवा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करने की शक्ति; और
 - (च) कोई अन्य मामले, जिसे विहित किया जाय, की शक्ति।
- (4) आयोग अपने व्यवहरण के संचालन के लिए तथा किसी ऐसे मामलों के लिए, जैसा आयोग उचित समझे, विनियम बना सकेगा।

आयोग की संस्तुतियों 18. (1) राज्य सरकार, धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ङ) और (च) के पर सरकार की अधीन आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार करेगा और आयोग को कार्यवाही तीस दिन के भीतर अथवा ऐसे अधिक समय पर, जैसा आयोग के साथ

परामर्श कर अभिनिश्चित किया जाय, की गई कार्यवाही से आयोग को सूचना भेजेगा। यदि सरकार यह अभिनिश्चित करे कि आयोग की किसी

- 11 -

संस्तुति पर अनुपालन नहीं किया जाना है तो आयोग की संस्तुतियों पर कार्यवाही न किए जाने के लिए कारणों को संसूचित करेगा।

(2) आयोग, धारा 17 के अधीन उसके द्वारा की गई संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई और कार्रवाई न करने के कारणों सहित, यदि कोई हो, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। राज्य सरकार, इस रिपोर्ट की प्रतियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा के पटल पर रखेगा।

सदभावपूर्वक की 19. इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के गई कार्रवाई के अधीन सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात लिए संरक्षण के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी के विरुद्ध न होगी।

नियम बनाने की 20. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित शक्ति करने के लिए नियम बना सकेगी।

नियम
अर्थात्—
करने के

- (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगे;
- (क) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन सेवाओं को अभिलिखित लिए अनुरक्षित रखने हेतु प्ररूप ;
- (ख) धारा 10 के अधीन आवेदन-पत्र के निस्तारण के लिए प्रक्रिया;
- (ग) धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के अधिकारियों अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और वेतन, भत्ते; तथा
- (घ) कोई अन्य मामले, जो अपेक्षित हों या जिन्हें विहित किया जाना आवश्यक हो।

और

नियम,
वह
अवधि
सकेगी।

- (3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष, जब सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ही बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए हो जाय, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा।

सहमत

यदि
बनाया

उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाय कि यह नियम नहीं

- 12 -

जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाईयों के 21. निराकरण की शक्ति अधिनियम के

यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस

उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के परामर्श से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

- 13 -

THE UTTARAKHAND RIGHT TO SERVICE ACT, 2011 [UTTARAKHAND ACT NO. 20 OF 2011]

A
N

A
C
T

to provide for the delivery of services to the people of the State of Uttarakhand within the given time limits and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislative Assembly as follows :-

- Short title, 1. (1)** This Act may be called the Uttarakhand Right to Service Act, **Extent and** 2011.
- Commencement (2)** It shall come into force at on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.
- Definitions 2.** In these Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-
- (a) **‘Commission’** means a Commission constituted under section 12;
 - (b) **‘Designated Officer’** means an officer as notified under section 3;
 - (c) **‘eligible person’** means a person who is eligible for obtaining services notified under section 3;
 - (d) **‘First Appellate Authority’** means an officer, who is notified as such under section 3;
 - (e) **‘given time limit’** means maximum time to provide the service by the Designated officer as notified under

section 3;

(f) **‘prescribed’** means prescribed by rules made under this Act;

within

(g) **‘right to service’** means a right to obtain the service the given time limit;

(h) **‘service’** means any service notified under section 3;

- 14 -

(i) **‘Second Appellate Authority’** means an officer who is notified as such under section 3;

(j) **‘section’** means a section of this Act; and

(k) **‘State Government’** means the Government of the State of Uttarakhand.

Notification of 3.
service,
Designated
Officers, First
Appellate
Appellate

(1) The State Government may by notification from time to time, notify the services, to which this Act shall apply.

(2) The State Government may by notification specify the Designated Officer, First Appellate Authority, Second

Authority,
Second Appellate
Authority and the
given time limit

Authority and the given time limit for the purposes of this Act.

Providing of 4.
service

The Designated Officer shall provide the service to the eligible person within the given from time limit.

Procedure for 5.
obtaining service
Act.

(1) An eligible person shall make an application to the Designated Officer for obtaining any service under the provisions of this

(2) The Designated Officer shall, on receipt of an application under sub-section (1), provide service or reject the application within the given time limit and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate the same to the applicant.

(3) Every Designated Officer shall maintain detailed records of services applied for in a format as may be prescribed.

First Appeal 6.

(1) Any eligible person, whose application for obtaining service is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the given time limit may file and appeal to the

- 15 -

First Appellate Authority within thirty days from the date of rejection or the expiry of the given time limit, as the case may be.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the First Appellate Authority shall consider the matter and if in its opinion the grievance of the eligible person appears to be genuine, it may direct the Designated Officer to provide the service within such period, as may be specified by it and in case of default to appear before it in person and explain reasons thereof.

(3) After affording an opportunity of hearing to the Designated Officer and the eligible person, the First Appellate Authority may pass an order either accepting the appeal or rejecting the same by an order made in writing and in the case of rejection, the reasons for rejection shall be specified by it in such order and shall communicate the same to the eligible person.

(4) An appeal made under sub-section (1) shall be finally disposed of by the First Appellate Authority, as far as possible, within a period of thirty days of its receipt.

Second appeal 7.

(1) Any eligible person, whose appeal for obtaining service is rejected or who is not provided the service within the time specified by the First Appellate Authority under section 6, may file an appeal to the Second Appellate Authority within thirty days from the date of such rejection or the expiry of the time specified by the First Appellate Authority.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Second Appellate Authority may pass an order either accepting the appeal and directing the Designated Officer to provide service to the eligible person within such period as may be specified or reject the same in writing detailing the reasons for such rejection :

Provided that before rejecting the appeal, an opportunity of hearing to the eligible person shall be granted by the Second Appellate Authority:

- 16 -

Provided further that an order made by the Second Appellate Authority under this section shall be communicated to the eligible person :

Provided further that the appeal made under sub-section (1) shall be decided by the Second Appellate Authority, as far as possible, within a period of sixty days from the date of receipt of appeal.

Power to 8. summon and Act, inspection while trying a 1908) in

The First Appellate Authority and the Second Appellate Authority shall, while deciding an appeal under the provisions of this Act, have the same powers as are vested in a civil court suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters; namely :-

- (a) requiring the production and inspection of documents;
- (b) issuing summons for hearing to the Designated Officer and

the appellant; and

(c) any other matter which may be prescribed.

Penalty 9.

(1)(a) Where the Second Appellate Authority is of the opinion that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have failed to provide service without sufficient and reasonable cause, it may impose a lump sum penalty on the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service which shall not be less than rupees five hundred and not more than rupees five thousand;

the

(b) Where the Second Appellate Authority is of the opinion that Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have caused undue delay in providing the service, it may impose a penalty at the rate of rupees two hundred and fifty per day for such delay on the Designated Officer and/or any official involved in the process of providing such service, which shall not be more than rupees five thousand :

- 17 -

Provided that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him/them under sub-section (a) and (b).

(2)The Second Appellate Authority may, by an order give such amount as compensation to the appellant out of the amount of the penalty imposed under sub-section (1), as may be specified by it, which shall not exceed that total amount of the penalty so imposed.

(3)The Second Appellate Authority may, if it is satisfied that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have failed to discharge the duties assigned under this Act without sufficient and reasonable cause, recommend disciplinary action against the defaulters under the service rules applicable to them in addition to the penalty imposed under sub-section (1).

Revision
Second
said
the
as

10. [Any person may, who is aggrieved by any order of the Appellate Authority make an application for revision of the order to the Commission within a period of sixty days from date of such order, which shall be disposed of in the manner may be prescribed:

Provided that the Commission may acknowledge for revision suo motu;

it or
time

Provided further that the Commission may entertain the application after the expiry of the said period of sixty days, if he is satisfied that the application could not be submitted in for a reasonable cause.]¹

- Display of locally services and Department given time limit** 11. The services and the given time limit shall be displayed and on website by the Secretary of the Concerning for information of the public.
- Constitution of the Commission** 12. (1) If in the opinion of the State Government, it is necessary or expedient so to do, it may, be notification, constitute for the purposes of this Act, a Commission to be called the Uttarakhand Right to Service Commission :
[***]
(2) The Commission shall be a body corporate, known by the aforesaid name having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.
(3) The Head office of the Commission will be at Dehradun or at such place, as the State Government may notify from time to time.
- Composition of the Commission** 13. (1) The Commission shall consist of a Chief Commissioner and two Commissioners and their appointment shall be made by the Government in consultation with the Leader of Opposition in Uttarakhand Vidhan Sabha.
(2) The Chief Commissioner shall be a retired officer in the rank and status of the Chief Secretary of the State of Uttarakhand or Secretary to the Government of India.
(3) The Commissioners shall be serving or retired officers of the Government of Uttarakhand in the rank and status of a Secretary or its equivalent rank and status in any of the services of the State, including officers of All India Services from the Uttarakhand Cadre and/or expert in the field of Public Administration having a Doctorate in Philosophy in Public Administration who have an experience of teaching in a University for a period of at least twenty years or from amongst other eminent public persons.

1.Repeal by section 4 of Uttarakhand Act No. 1 of 2014.

- Powers of the Chief Commissioner** 14. (1) The Chief Commissioner shall have powers of general superintendence and direction in the conduct of the affairs of the Commission. The Chief Commissioner shall preside over the meetings of the Commission as well as exercise and discharge the powers and functions of the Commission vested in him in accordance with the regulations framed under sub-section (4) of section 17.
(2) In case of absence of the Chief Commissioner or a vacancy in the office of the Chief Commissioner, the State Government may nominate one of the Commissioners to perform the functions and

exercise the powers vested in the Chief Commissioner as long as the vacancy or absence continues.

- (3) A Commissioner nominated to discharge the functions and powers of the Chief Commissioner under sub-section (2) shall not be entitled to any compensation, allowance or facility in addition to what he would be entitled to as a Commissioner.

**Term of office
office**

**and conditions of
upon**

**service of Chief
Commissioner
and**

Commissioners

15. (1) The Chief Commissioner and the Commissioners shall hold

for a term of five years from the date on which they enter

the respective offices, or until they attain the age of sixty five years, whichever is earlier and they will not be entitled for re-appointment.

(2) If a person already holding an office is appointed as the Chief Commissioner or Commissioner, he shall have to resign or seek retirement from that office before joining the Commission.

(3) The Chief Commissioner or a Commissioner shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath affirmation.

(4) The Chief Commissioner or a Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office. He would also be liable for removal from the office in the

- 20 -

manner provided under section 16.

(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chief Commissioner and the Commissioners shall be the same as those of the State Chief Information Commissioner and the State

Information Commissioners respectively as laid down in sub-section (5) of section 16 of the Right to information Act, 2005. All provision of the aforesaid sub-section shall apply *mutatis mutandis* to the Chief Commissioner and the Commissioners appointed under the Act.

(6) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the Commission under this Act. The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other employees so appointed shall be such as may be prescribed.

**Removal and
Suspension of
Chief Commissioner or a**

convicted of an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or
**certain
circumstances.**

affect
or
office

16. (1) The State Government may remove the Chief Commissioner or any Commissioner from office after complying with the provisions of Sub-section (2), if he has—

(i)

been adjudged insolvent; or **Commissioner**

(ii) been

State

(iii) become physically or mentally incapable; or

(iv) acquired such financial or other interest as is likely to prejudicially his functions in any of the said capacities;

(v) so abused his position as to render his continuance in prejudicial to public interest.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1), the Chief Commissioner or any Commissioner, shall not be removed from his office, unless,--

(i) A reference is made by the State Government to the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand State seeking an

- 21 -

enquiry and recommendation on the proposed removal of the Chief Commissioner or the Commissioner along with the grounds for the removal and material supporting such proposal;

(ii) the reference if duly enquired into by an inquiry committee headed by a sitting or retired High Court Judge or any other person appointed by the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand ; and

(iii) the inquiry committee makes recommendation that the Chief Commissioner or the Commissioner ought to be removed on such ground or grounds.

(3) The State Government may suspend the Chief Commissioner or the Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Chief Justice under sub-section (2).

**Powers and
functions of the
state Uttarakhand
Right to Service
Commission**

delivery
Authority

services

17. (1) It shall be the duty of the Commission to ensure proper implementation of this Act and to make suggestions to the Government for ensuring better delivery of services. For this purpose, the Commission may,--

(a) entertain and dispose of revisions under section 10;

(b) take *suo moto* notice of failure to deliver service in accordance with this Act and refer such cases for disposal as may be appropriate;

(c) carry out inspections of offices entrusted with the of services and the offices of the First Appellate and the second Appellate Authority;

(d) recommend Departmental action against any officer or employee of the State Government who has failed in due discharge of functions cast on him under this Act;

(e) recommend changes in procedures for delivery of which will make the delivery more transparent and

easier :
recommendation,

Provided that before making such a

- 22 -

the Commission shall consult the Administrative Secretary in-charge of the Department which is to deliver the service; (f) recommend additional notifications to be notified under section 3 and may also suggest modifications in the notifications already issued for better implementation of this Act.

(2) Where the Commission is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into a matter arising out of the provisions of this Act, it may, *suo moto*, initiate and inquiry in respect thereof.

(3) The Commission shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters; namely :-

(a)

summoning and enforcing the attendance of persons, compelling them to give oral or written evidence on oath and producing documents or things;

(b) requiring the discovery and inspection of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public records or copies thereof from any court or office;

(e) issuing summons for examination of witnesses or documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

(4) The Commission may frame its regulations for the conduct of its business and any such matter, as the Commission may deem fit.

Action by the Government on recommendations of the Commission 18. (1) The State Government shall consider the recommendations made by the Commission under clause (d), (e) and (f) of sub-section (1) of section 17 and send information to the Commission of action taken within thirty days or such longer time as may be decided in consultation with the Commission. In case the Government decided not to implement any of the recommendations of the

- 23 -

Commission, it will communicate the reasons for not acting on the recommendations to the Commission.

(2) The Commission shall prepare an annual report of the recommendations made by it under section 17 along with the action taken and reasons for not taking action, if any. The State Government shall cause a copy of this report to be laid on the table of the Uttarakhand Legislative Assembly.

Protection of 19.
against any action taken in
to be good faith

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder.

**Powers of make
Gazette, rules**

20. (1) The State Government may by notification in the Official make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters; namely :-

- (a)** the format to maintain the recodes of services under sub-section (3) of section 5;
- (b)** the procedure for disposing of an application made under section 10;
- (c)** salaries, allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Commission under sub-section (6) of section 15; and
- (d)** any other matter which is required to be or may be prescribed.

(3) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions

- 24 -

aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees that the rules should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

**Power to remove
Act, difficulties**

21. If any difficulty arises in giving effect to the provision of this the State Government may by order not inconsistent with the provisions of this Act, remove the same :

expiry

Provided that no such order shall be made after the of a period of two years from the commencement of this Act.

- 25 -